अति आवश्यक
निर्वाचन मामला

संख्याःपीसीएच–एचए (1)4/2025-25005-28
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग ।

प्रेषकः

सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.

प्रेषितः

1. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

शिमला–09 दिनांक 06 सितम्बर, 2025.

विषयः– पंचायतों में सदस्यों के स्थानों व सभापतियों के पदों का आरक्षण बारे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28(8–क), 87(8–क), 88(8–क) व 89(8–क) में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 14.08.2025 को अधिसूचित व दिनांक 18.08.2025 को राजपत्र में प्रकाशित किए गये है, के अन्तर्गत संशोधन किया गया है (प्रति संलग्न)।

उक्त संशोधन नियम 2025 के प्रावधानानुसार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 के प्रारंभ के पश्चात् संचालित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए स्थानों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारंभिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा, मानो कि उक्त निर्वाचन उप–नियम (8) के अधीन प्रथम बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात् स्थानों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों/ग्राम सभाओं/पंचायत समितियों व जिला परिषदों में चक्रानुक्रमित किया जाएगा। अर्थातः आरक्षित स्थानों तथा पदों की गणना नए सिरे से की जाएगी तथा आगामी पंचायत चुनाव में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का रोस्टर नए सिरे से आरम्भ किया जाएगा। अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धाराओं 8, 78, 89 तथा 125 तथा हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 28, 87, 88 तथा 89 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद सदस्यों के स्थानों तथा सभापतियों के पदों को आरक्षित करने के लिए निम्न दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैः–

1. ग्राम पंचायतों में सदस्यों का आरक्षणः–

सर्वप्रथम अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने वाले स्थानों की गणना की जाएगी अर्थात सबसे पहले रोस्टर अनुसूचित जाति के लिए लागू किया जाएगा। अनुसूचित जाति के सदस्यों के स्थान पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएगें।

आरक्षित स्थानों की गणना के पश्चात ग्राम पंचायत का वह निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाएगा जहां इस वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है यदि आरक्षित होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों की संख्या एक से अधिक है तो अगला ऐसा निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाएगा जहां इस वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता घटते क्रम में दूसरे स्थान में है। इसी प्रकार आरक्षित स्थानों की पहचान अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता के घटते क्रम में तब तक की जाएगी जब तक वांछित स्थानों की पहचान पूर्ण नहीं हो जाती। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ग्राम पंचायत में कुल निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों की संख्या 9 है और जनसंख्या के अनुपातः में उस पंचायत में 3 निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होते है तो उक्त 9 निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में से 3 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए जाए जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता घटते क्रम में एक, दो तथा तीसरे स्थान पर हैं। यह ध्यान रखा जाए कि जिस निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से कम है वह निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता 5 से कम है तो उस वर्ग के लिए कोई भी निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड आरक्षित नहीं होगा।

अगला चरण अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में से निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों को इस वर्ग की महिलाओं को आरक्षित करने का होगा। अनुसूचित जाति के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड आरक्षित होता है तो वह सीधे उस वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा। यदि अनुसूचित जाति के लिए एक से अधिक क्षेत्र/वार्ड आरक्षित होते है तो उस अवस्था में आरक्षित स्थानों का 50 प्रतिशत इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा जैसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 3 क्षेत्रों/वार्डों में से 2 निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगे। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों के भीतर उन निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों की पहचान इस प्रकार से की जाएगी कि जिस वार्ड में अनुसूचित जाति महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड की कुल जनसंख्या के अनुपात में सबसे अधिक है वह निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड इस वर्ग की महिला को आरक्षित किया जाए। यदि अनुसूचित जाति महिला के लिए एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड आरक्षित होते है तो घटते क्रम में वह वार्ड अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित होगा जहां उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता घटते क्रम में दूसरे स्थान पर हैं। जैसे कि अनुसूचित के लिए आरक्षित कुल 3 निर्वाचन क्षेत्रों/वाडों में से 2 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किए जाएगें जहां उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड की कुल जनसंख्या के अनुपात में घटते क्रम में सबसे अधिक तथा उससे कम है अर्थात् पहले तथा दूसरे स्थान पर है।

इसके पश्चात् अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होने वाले निर्वाचन/वार्डों की गणना की जाएगी। अनुसूचित जाति की भांति अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किये जाएंगें अर्थात् यदि किसी पंचायत में सदस्यों की कुल संख्या 9 हैं और अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या का प्रतिशतता 10 है तो उस पंचायत में एक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया जाएगा।

अनुसूचित जनजाति महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए वही प्रकिया लागू होगी जिसका विवरण अनुसूचित जाति के मामले में ऊपर दिया गया है।

क्योंकि ग्राम पंचायत में सदस्यों के स्थानों के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रदान नहीं किया गया है अतः इनके स्थानों की गणना नहीं होगी। उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात् महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाले स्थानों की गणना तथा पहचान की जाएगी। पंचायत में सदस्यों के कुल स्थानों का 50 प्रतिशत (जिसमें अनुसूचित जाति महिला व अनुसूचित जनजाति महिला को आरक्षित पद भी शामिल है) स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगें। यदि पंचायत में कुल 9 निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में से 3 निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड पहले ही अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार आरक्षित हो चुके है शेष 2 निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगें क्योंकि कुल 9 निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में से 5 निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड महिलाओं के लिए आरिक्षत किए जाने अनिवार्य है। उक्त 2 निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डो की पहचान भी महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता के घटते क्रम में की जाएगी अर्थात् 9 निर्वाचन क्षेत्रों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों को छोड़कर शेष वार्डों में से पहले दो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएगें जहां महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता घटते हुए कम में सबसे अधिक तथा उससे कम है।

2. पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों का आरक्षणः–

पंचायत समिति तथा जिला परिषद् में सदस्यों के स्थानों को आरक्षित करने तथा उनकी गणना करने का मूल सिद्धान्त वही रहेगा जिसका उल्लेख ग्राम पंचायत के मामले में क्रम संख्या 1 में किया गया है। ग्राम पंचायत में सदस्यों के स्थानों के लिए पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान नहीं किया गया परन्तु पंचायत समिति तथा जिला परिषद् स्तर पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों की गणना तथा पहचान भी की जानी है। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण पंचायत समिति व जिला परिषद् क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया गया है। परन्तु अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत निर्धारित है अर्थात् यदि किसी पंचायत समिति व जिला परिषद् क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का अनुपात 15 प्रतिशत से अधिक है तो उस अवस्था में आरक्षण 15 प्रतिशत तक ही सीमित किया जाएगा। यदि किसी पंचायत समिति व जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से कम है तो वह निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगा और यदि पचांयत समिति व जिला परिषद् क्षेत्र में भी पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 5 प्रतिशत से कम है तो उस अवस्था में उस जिला परिषद व पंचायत समिति में पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थान इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगें। यदि आरक्षित स्थानों की संख्या 1 है तो यह स्थान सीधे पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होगा। यदि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 1 से अधिक है तो उस अवस्था में 50 प्रतिशत स्थान उक्त वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगें। उदाहरण के तौर पर यदि किसी पंचायत समिति व जिला परिषद में पिछड़ा वर्ग के लिए 3

स्थान आरक्षित होते है तो 2 स्थान पिछड़ा वर्ग महिला लिए आरक्षित होंगें। क्योंकि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की प्रतिशतता के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है इसलिए पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 3 निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों में से वे दो निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड इस वर्ग की महिलाओं को आरक्षित किए जाएंगे जहां महिलाओं की प्रतिशतता सबसे अधिक तथा घटते कम में उससे कम है। पंचायत समिति तथा जिला परिषद् में कुल स्थानों में से महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थानों की आरक्षण की गणना करते समय अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति महिला तथा पिछड़ा वर्ग की महिला को उपरोक्त अनुसार आरक्षित स्थानों को घटाकर की जाएगी अर्थात् यदि किसी जिला परिषद् में कुल सदस्यों की संख्या 24. है तो महिलाओं के लिए 12 स्थान आरक्षित होंगे। यदि उस जिला परिषद् में अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 3 स्थान तथा पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1 स्थान पहले ही उक्त श्रेणियों को आरक्षित स्थानों में से आरक्षित हो चुके है तो शेष (12--4= 8 स्थान) सामान्य महिलाओं के लिए इस प्रकार आरक्षित किए जाएंगें जहां महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता घटते क्रम में क्रम संख्या 1 से 8 तक होगी। पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डें में आरक्षण की गणना करने के लिए विकास खण्ड स्तर पर जनसंख्या के आकड़े तथा जिला परिषद् में निर्वाचन क्षेत्रों/ वार्डों में आरक्षण की गणना के लिए जिला स्तर पर जनसंख्या के आंकड़े आधार होंगे।

3. ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षणः–

ग्राम पंचायत के प्रधानों के पदों के आरक्षण के लिए विकास खण्ड को एक इकाई माना गया है तथा इन पदों के आरक्षण की गणना विकास खण्ड स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुपात में की जाती है। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण हेतू रोस्टर लागू किया जाएगा। प्रत्येक विकास खण्ड में ग्राम पंचायत के प्रधानों के पद अनुसूचित जाति के लिए विकास खण्ड में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगें और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता वाली ग्राम पंचायतों में प्रधानों के पद उस वर्ग के लिए आरक्षित होगें। यदि आरक्षित होने वाले प्रधानों के पदों की संख्या एक से अधिक हो तो अगली अधिकतम जनसंख्या की प्रतिशतता वाली पंचायत में प्रधान का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा और ऐसा कम तब तक जारी रहेगा जब तक निर्धारित संख्या के बराबर पंचायतों में प्रधान के पद इस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हो जाते। यदि किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से कम है तो उस अवस्था में उस पंचायत में प्रधान का पद अनुसूचित जाति के आरक्षित नही होगा। इसके अतिरिक्त यदि विकास खण्ड में ही अनुसूचित जाति की जनसंख्या 5 प्रतिशत से कम है तो उस विकास खण्ड में प्रधान का कोई भी पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं होगा। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगें। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पंचायत प्रधानों में से उन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित होगें जहां उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या के मुकाबले सबसे अधिक है। यदि ऐसे पदों की संख्या 1 से अधिक हो तो अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिलाओं की अधिकतम जनसंख्या की प्रतिशतता रखने वाली अगली ग्राम पंचायत ऐसी महिलाओं को आरक्षित

की जाएगी। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए प्रधानों के पद विकास खण्ड में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होंगे। जनजाति को आरक्षित कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद उनकी महिलाओं को उसी प्रकार आरक्षित किये जाएंगें जिस प्रकार अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार आरक्षित किए गए हैं। परन्तु जिस पंचायत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 5 प्रतिशत कम है उस पंचायत में प्रधान का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यदि विकास खण्ड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 5 प्रतिशत से कम है तो उस विकास खण्ड में प्रधान का कोई भी पद अनुसूचित जनजाति के आरक्षित नहीं किया जाएगा।

विकास खण्ड में प्रधानों के पद पिछड़ा वर्ग के लिए भी विकास खण्ड में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगें, परन्तु यह आरक्षण 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद इस वर्ग की महिलाओं को आरक्षित किए जाएंगे जिस प्रकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति महिलाओं को उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार किए गए है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग महिलाओं की प्रतिशतता के आकड़े अलग से उपलब्ध नहीं कराए गऐ है इसलिए पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षित होने वाले प्रधानों के पदों की पहचान करने के लिए महिलाओं की प्रतिशतता के आंकडे आधार होंगे। अर्थात यदि किसी विकास खण्ड में प्रधानों के 2 पद पिछड़ा वर्ग को आरक्षित होते हैं तो उक्त ग्राम पंचायत प्रधान पदों में से उस ग्राम पंचायत में प्रधान का पद पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षित होगा जिनमें महिलाओं की प्रतिशतता अधिक है। पिछड़ा वर्ग के मामले में भी उन विकास खण्डों में कोई भी प्रधान पद आरक्षित नहीं किया जाएगा, जहां इस वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से कम है। यदि विकास खण्ड में इस वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से अधिक है तो विकास खण्ड के भीतर उन पंचायतों में प्रधान का पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगा जिस पंचायत में इस वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से कम है।

विकास खण्ड में कुल प्रधानों के पदों में से 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगें जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की महिलाएं भी शामिल है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी विकास खण्ड में कुल पंचायतों की संख्या 41 है तो 21 पंचायतों में प्रधानों के पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगें। यदि अनुसूचित जाति महिला के लिए 4, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 3 तथा पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 01 पद उपरोक्त अनुसार पहले ही आरक्षित हो चुके हैं तो शेष (21–8=13) प्रधानों के पद शेष पंचायतों में से सामान्य महिलाओं को उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता के घटते कम में आरक्षित किए जाएंगें।

4. पंचायत समिति अध्यक्षों के पदों का आरक्षणः–

पंचायत समिति के अध्यक्षों के पदो के आरक्षण के लिए जिला को एक इकाई माना गया है तथा इन पदों के आरक्षण की गणना जिला स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुपात में की जाएगी। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण हेतू रोस्टर लागू किया जाएगा। प्रत्येक जिला में पंचायत

समिति के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जाति के लिए जिला में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगें और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता वाली पंचायत समिति में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित होगा। यदि आरक्षित होने वाले पंचायत समिति अध्यक्षों की संख्या एक से अधिक हो तो अगली अधिकतम जनसंख्या की प्रतिशतता वाली पंचायत समिति में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाएगा और ऐसा क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक निर्धारित संख्या के बराबर पंचायत समितियां इस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हो जाती। यदि किसी पंचायत समिति में अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से कम है तो उस अवस्था में उस पंचायत समिति में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति के आरक्षित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यदि जिला में ही अनुसूचित जाति की जनसंख्या 5 प्रतिशत से कम है, तो उस जिले में पंचायत समिति के अध्यक्ष का कोई भी पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं होगा। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगें। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पंचायत समिति अध्यक्षों में से उन पंचायत समितियों के अध्यक्ष के पद अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित होगें जहां अनुसूचित जाति महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता पंचायत समिति की कुल जनसंख्या के अनुपात में सबसे अधिक है और यदि ऐसे पदों की संख्या 1 से अधिक हो तो अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिलाओं की अधिकतम जनसंख्या की प्रतिशतता रखने वाली अगली पंचायत समिति में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायत समिति अध्यक्षों के पद जिला की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होंगें। अनुसूचित जनजाति को आरक्षित कुल पदों 50 प्रतिशत पद उनकी महिलाओं को उसी प्रकार आरक्षित किये जाएंगें जिस प्रकार अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए ऊपर दी गई प्रक्रिया अनुसार किये गए है परन्तु जिस पंचायत समिति में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 5 प्रतिशत से कम है उस पंचायत समिति में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी जिला में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 5 प्रतिशत से कम है तो उस जिला में पंचायत समिति अध्यक्ष का कोई भी पद अनुसूचित जनजाति के आरक्षित नहीं किया जाएगा।

जिला में पंचायत समिति अध्यक्ष के पद पिछड़ा वर्ग के लिए जिला में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगें, परन्तु यह आरक्षण 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगें, जिसकी प्रक्रिया वही होगी जो कि उपरोक्त पैरे में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के बारे में बताई गई है। क्योकि पिछड़ा वर्ग महिलाओं की प्रतिशतता के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है इसलिए पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पहचान समिति में महिलाओं की जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर की जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी जिले में दो अध्यक्ष के स्थान पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होते हैं तो उन दो समितियों में से उस समिति में अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित होगा जहां महिलाओं की प्रतिशतता अधिक है। पिछड़ा वर्ग के मामले में भी ऐसे जिलों में, जहां इस वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से कम है, पंचायत समिति अध्यक्ष का कोई भी पद इस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा। यदि जिले में इस वर्ग की

जनसंख्या की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से अधिक है तो जिले के भीतर उस पंचायत समिति में अध्यक्ष का पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगा जिस पंचायत समिति में इस वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से कम है। जिले में पंचायत समिति के अध्यक्षों के कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगें जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की महिलाएं भी शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी जिला में कुल पंचायत समितियों की संख्या 8 है तो 4 पंचायत समितियों में अध्यक्षों के पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगें। यदि अनुसूचित जाति महिला के लिए 1, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 1 तथा पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1 पद उपरोक्त अनुसार पहले ही आरक्षित हो चुके हैं तो शेष 1 पद (4–3=1) शेष पंचायत समितियों में से सामान्य महिलाओं को उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता के घटते क्रम में आरक्षित किए जाएंगें।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण हेतु जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगी। जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वर्ष 1993–94 में किए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों जिन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रकाशित/संशोधित किया गया है, पर आधारित होगा। गत वर्षों में यह सामने आया है कि कई पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के आंकड़े विवादित रहे है जिस कारण कुछ ऐसी पंचायतें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुई, जहां पर बाद में इस वर्ग का कोई भी उम्मीदवार नहीं मिला। उन्हें इस कारण से अनारक्षित करना पड़ा कि वहां उक्त वर्ग की जनसंख्या ही उपलब्ध नहीं थी।

यह ध्यान रखा जाए कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सभापतियों के पदों हेतु आरक्षण PESA अधिनियम के प्रावधानानुसार किया जाए अर्थात सभापतियों के समस्त पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगें।

कुछ वार्ड तथा ग्राम पचायतें पिछले चुनावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी, परन्तु इन पचायतों को बाद में नियमानुसार इस कारण से अनारक्षित करना पड़ा कि वहां उक्त वर्ग की जनसंख्या ही उपलब्ध नहीं थी। अतः जो पचांयते तथा वार्ड गत निर्वाचन के पश्चात अनारक्षित किए गए, उन/वार्डों पचायतों को इस बार उस श्रेणी के आरक्षण के लिए न विचारा जाए।

आरक्षण की प्रकिया में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा इसके अन्तर्गत अधिसूचित नियमों तथा उक्त दिशा–निर्देशों का पालन सख्ती से किया जाए अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटी के लिए सम्बन्धित अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जाएगा।

भवदीय,

निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।